

विज्ञापन संख्या : ०६ / २०२३
निविदा सूचना।
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर नालंदा।

मेस संख्या	कुल प्रशिक्षकों की संख्या
04	612 पुरुष प्रशिक्षक

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में 2020 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों एवं प्रारक्ष प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों(परिचारी) को भोजन की व्यवस्था हेतु मेस संचालन के लिए निविदा किया जाना है। मेसों का आवंटन खुली निविदा के माध्यम से किया जायेगा। मेस सं-०४ में कुल 612 पुरुष प्रशिक्षक का आवासन होना है। मेस में भोजन हेतु प्रति प्रशिक्षु से रु० 6,500/- प्रति माह मेस शुल्क का भुगतान किया जाना है। उक्त मेस के डाईनिंग एवं किचेन एरिया का क्षेत्रफल 543 वर्ग फिट है। मेस के लिए उपयोग किये जाने वाले एरिया का किराया न्यूनतम शुल्क रु० 5,973/- भुगतेय होगा तथा इसके अतिरिक्त बिजली बिल अलग से देय होगा। इच्छुक निविदादाता इस संबंध में अपना निविदा डाल सकते हैं। निविदा हेतु निविदादाताओं को तकनीकी बिड जमा करना होगा, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें होगी :-

1. निविदा की प्रक्रिया में वैसे ही फर्म भाग लेंगे, जिन्हें पूर्व में सरकारी प्रतिष्ठानों (स्कूल/हॉस्टल/सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र यथा BIPARD, BICA etc.)/गैर सरकारी प्रतिष्ठान(स्कूल/हॉस्टल) में सेवा प्रदान करने का अनुभव प्राप्त हो, जिसका प्रमाण पत्र तकनीकी बिड में संलग्न करना होगा।
2. बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में कुल 2213 अवर निरीक्षक निकट भविष्य में प्रशिक्षण पाने वाले हैं, जिसके लिए 5 हॉस्टलों में अलग-अलग मेस संचालन किये जायेंगे, इस संबंध में अवर निरीक्षकों के भोजन के लिए एक ही समय में 5 अलग-अलग निविदा निकाले गये हैं, इच्छुक निविदादाता अधिकतम 2 निविदा में ही भाग लेंगे, यदि कोई निविदादाता 2 से अधिक मेस के लिए निविदा डालता है तो अकादमी के द्वारा उनको निविदा से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
3. पहले तकनीकी बिड खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल रहने वाले निविदादाता ही पुनः खुली निविदा प्रक्रिया में भाग लेंगे। उच्चतम बोली लगाने वाले निविदादाता को ही मेस अन्तिम रूप से आवंटित किया जायेगा।
4. निविदादाता अपनी-अपनी बिड की छायाप्रति अकादमी अवस्थित निविदा पेटी में डालेंगे एवं बिड खुलने के समय मूल प्रति साथ रखेंगे जिससे उसका मिलान किया जायेगा।
5. निविदा में भाग लेने हेतु निविदाकर्ता को रु० 2,000/- (दो हजार रूपये) (**Non-refundable**) निविदा शुल्क के रूप में अकादमी के एमेनिटी फंड के खाता संख्या-31114912044, IFSC CODE-SBIN0003499 पर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा एवं जमा किये गये राशि से संबंधित प्रमाण तकनीकी बिड के साथ लगाना होगा। प्रमाण संलग्न नहीं करने पर निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।
6. चयनित निविदाता को इकरारनामा हस्ताक्षरित होने के समय रु० 1,00,000/- (एक लाख रूपये) सिक्यूरिटी मनी के रूप में जमा कराना होगा। ये सिक्यूरिटी मनी इकरारनामा अवधि समाप्त होने के 15 दिन पश्चात बिना ब्याज के लौटाया जायेगा।

निविदा डालने की संक्षिप्त प्रक्रिया :-

निविदा डालने की अंतिम तिथि एवं समय५..... २०२३ अपराह्न ०५:०० बजे तक।
निविदा खोलने की तिथि एवं समय१..... ५..... पूर्वाह्न ११:०० बजे ऑडिटोरियम हॉल में

1. सभी निविदादाता अपनी—अपनी निविदा पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक (प्रशिक्षण) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के नाम से दिनांक—.....०..... ५..... / २०२३ के समय १७.०० बजे तक बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में निर्धारित निविदा बॉक्स में जमा करा सकते हैं।
2. निविदादाता के फर्म/प्रतिष्ठान का पंजीकरण अनिवार्य होगा एवं पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता के पास विगत ०३ वर्षों का जी०एस०टी० अपडेट होना अनिवार्य है।
4. निविदादाता को अपने फर्म/प्रतिष्ठान का इनकम टैक्स रिट्टन विगत ०३ वर्षों तक का भुगतान संबंधी प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता के फर्म/प्रतिष्ठान का अनुभव प्रमाण पत्र/सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. निविदा में भाग लेने वाले उम्मीदवार निविदा खोलने की तिथि को एक इस आशय का शपथ—पत्र नॉन—जुडिशियल स्टाम्प पेपर अपने साथ लायेंगे कि उन्हें पूर्व में अपनी सेवा देने के संबंध में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
7. निविदा आवंटित होने पर इकरारनामा प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण समाप्ति अवधि तक होगा। निविदा में भाग लेने वाले निविदाकर्ता, निविदा खोलने की तिथि को बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में स्वयं उपस्थित रहेंगे अथवा अपने प्राधिकृत व्यक्ति को भेज सकते हैं, जो प्राधिकार पत्र, पहचान पत्र भी साथ में रखेंगे।
8. निर्धारित समयावधि के बाद आने वाले निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता के पास चरित्र प्रमाण—पत्र होना अनिवार्य है।
10. जाँच के दौरान कभी भी अगर यह बात प्रकाश में आती है कि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण—पत्र जाली अथवा अवैध है तो इकरारनामा पश्चात् भी उनका इकरारनाम रद्द कर दिया जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
11. निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को निविदा डालते समय स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का ही हस्ताक्षर अंकित करना होगा।
12. अन्तिम रूप से चयनित मेस संचालक के द्वारा दी जाने वाली खाने की गुणवत्ता को बीच—बीच में पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी जाँच करेंगे।
13. अन्तिम रूप से चयनित मेस संचालक के मेस में स्वयं/कर्मियों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार मेस संचालक का होगा इसमें अकादमी का कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
14. आवंटित मेस संचालक को अपने/अपने कर्मियों का बायोडाटा देना होगा, जिसमें पहचान पत्र, नेम प्लेट पदवार के हिसाब से लगाना अनिवार्य होगा।
15. आवंटित मेस संचालक अकादमी में साफ—सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा एवं अकादमी में कार्यरत एन०आई०एस०, हॉर्टीकल्चर, स्टर्लिंग फर्मों से भी समन्वय स्थापित रखना होगा।
16. आवंटित मेस संचालक को अपने कर्मियों को पदवार ड्यूटी पर लगाना होगा यथा—मैनेजर, सुपरवाईजर, कुक, सहायक कुक, डिलेवरी बॉय इत्यादि एवं सभी कर्मियों के लिए पहचान—पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। कर्मियों के लिए काला पैन्ट एवं सफेद रंग का शर्ट ड्रेस कोड होगा, जिसका व्यवस्था मेस संचालक को ही करना होगा, इसके लिए अतिरिक्त राशि अलग से देय नहीं होगा।

17. आवंटित मेस संचालक अपने कर्मियों को काम में लगाने से पूर्व यह स्पष्ट बतायेगें कि उन्हें किस काम हेतु कितने रूपये के मासिक/प्रतिदिन का वेतन दिया जायेगा।
18. चयनित निविदाता की सिक्यूरिटी के नाम पर जमानत राशि अकादमी में जमा रखी जाएगी तथा इकरारनामा अवधि समाप्ति उपरांत अगर कोई कटौती होती है तो कटौती उपरांत बगैर ब्याज के वापस लौटायी जाएगी।
19. मेस का संचालन निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के तुरंत बाद से किया जाना संभावित है, अन्तिम रूप से चयनित निविदादाता को मेस संचालन हेतु सारी व्यवस्था कर के तैयार रहना होगा। प्रशिक्षण समाप्ति उपरांत इकरारनामा स्वतः समाप्त हो जाएगी।
20. इकरारनामा पश्चात् सभी मेस संचालकों को हरेक 03 महीने पर टैक्स रिटर्न जमा करने संबंधी प्रमाण—पत्र समर्पित करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
21. निविदा में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
22. जिन निविदादाताओं का चयन अन्तिम रूप से हो जाएगा, उन्हें अपने/अपने फर्म की बैंक खाता देना होगा एवं उसी खाता से मेस संबंधी वित्तीय लेखा—जोखा करना होगा। मेस संचालक महीने के 05 तारीख तक अकादमी को प्रशिक्षुओं से बिल भुगतान में देरी के संबंध में अवगत करायेंगे।
23. भोजनालय/मेस संचालन वाले फर्म को भोजन बनाने हेतु बर्टन चुल्हा एवं अन्य उपकरण की व्यवस्था स्वयं करेंगे।
24. बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में संचालन कर रहे पूर्व संचालनकर्ता/फर्म जिनका मेस किराया बकाया है, उन्हें इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
25. सभी प्रशिक्षु मेस शुल्क का भुगतान मेस संचालक द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते में कैशलेश माध्यम यथा ऑनलाईन पेमेन्ट/फोन पे/पेटीएम/गुगल पे के माध्यम से जमा करेंगे।
26. प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के बाद मेस कमिटी गठित की जाएगी, जिसमें मेस के प्रशिक्षु रहेंगे, जो भोजन की गुणवत्ता या अन्य समस्या से अकादमी को अवगत करायेंगे। प्रत्येक महीने नया मेस कमिटी का गठन किया जाएगा।
27. मेस संचालन हेतु सुपरवाइजर, बावर्ची, एवं मेस संचालन हेतु लगाये गये अन्य कर्मचारियों के रहने/आवासन की व्यवस्था निविदादाता स्वयं करेंगे।
28. पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को निविदा में किसी शर्त को शिथिल करने/स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
29. यह निविदा सूचना एवं नियमावली अकादमी के वेबसाइट www.bpa.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

21.3.23

पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक(प्रशिक्षण)
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

तकनीकी बिड के आवेदन का प्रारूप निम्न प्रकार से होगा

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक (प्रशिक्षण),
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

विषय :- मेस संख्या..... के संचालन करने हेतु निविदा सं0..... का तकनीकी बिड डालने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं.....फर्म का नाम.....
मेरे द्वारा निविदा नियमावली एवं अन्य नियम तथा शर्त अच्छी तरह पढ़ने/समझने के उपरांत यह
आवेदन दिया जा रहा है। अकादमी द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्तों के अनुसार मेस संचालन व्यवस्था
सुनिश्चित करने का आश्वासन देता हूँ।

मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख तथा प्रमाण पत्र मेरी
जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में किसी स्तर पर गलत पाये जाने पर अकादमी
यथोचित आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

सध्यवाद।

समर्पित दस्तावेजों को क्रमवार रखते हुए उसकी विवरणी आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।

विश्वासभाजन
अपना फर्म का नाम
पता

1. प्रशिक्षु पदाधिकारियों के मेस मेन्यू निम्नवत् होगा :-

दिन	सुबह का नास्ता (8.00AM-10.00 AM)	दोपहर का भोजन (1.00 PM-03.00 PM)	टी/ कॉफी/ स्नैक्स (5.00 PM)	रात्रि भोजन (8.00 PM10.00 PM)
सोमवार	अण्डा 01 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दूध 250 मि०ली०, रोटी, हरी सब्जी	रोटी, चावल, दाल (अरहर—मूंग), सलाद, पापड़, चटनी, दही, चिकन करी(वेज के लिए), मटर पनीर(नॉन वेज के लिए), सब्जी, कढ़ी		रोटी, चावल, दाल, सलाद, मिक्स वेज, मिठाई 2 पीस / व्यक्ति
मंगलवार	भरवां फराठा, मिठाई 01 पीस, दूध 250 मि०ली०, रोटी, हरी सब्जी	रोटी, चावल, लाल राजमा, हरी सब्जी, पापड़, सलाद, धनिया चटनी		रोटी, खीर, लौकी दाल, मिक्स सब्जी, सलाद,, काला जामुन-1 / व्यक्ति
बुधवार	छोले भटुरे, अंडा 1 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दूध 250 मि०ली०,	रोटी, चावल, दाल (अरहर—मूंग), सलाद, पापड़, चटनी, दही, पनीर करी (नॉन वेज के लिए), चिकन बटर मशाला (वेज के लिए), खीर	चाय के साथ 04 बिस्कीट प्रतिदिन प्रत्येक हॉस्टल के प्रत्येक फलोर पर मेस संचालक को चाय का कंटेनर के साथ अपने कर्मी को रखना होगा।	रोटी, चावल, दाल, सलाद, आलू भुजिया, करी, मशरूम, सेवई
गुरुवार	भरवां फराठा, दलिया, अण्डा 01 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दूध 250 मि०ली०,	रोटी, चावल, दाल (अरहर—मूंग), सलाद, पापड़, चटनी, दही, भेज कोफ्ता, कढ़ी बड़ी, भुजिया,		रोटी, पुलाव, दाल, सलाद, तड़का, हरी सब्जी
शुक्रवार	इडली सांभर, अण्डा 01 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दूध 250 मि०ली०,	रोटी, चावल, दाल (अरहर—मूंग), सलाद, पापड़, चटनी,		रोटी, चावल, दाल, सलाद, आलू भुजिया, फिश करी (4 पीस / व्यक्ति 200 ग्राम), पनीर की सब्जी
शनिवार	पाव भाजी, अण्डा 01 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दूध 250 मि०ली०,	खिचड़ी, चोखा, चटनी, दही, पापड़, सलाद		सत्तु लिटटी, आलू+बैगन+टमाटर का चोखा, चटनी
रविवार	ब्रेड पकौड़ा, अण्डा 01 पीस(नॉन वेज के लिए), मिठाई 01 पीस (वेज के लिए), फल, दूध 250 मि०ली०,	रोटी, चावल, मटन (200 ग्राम प्रति व्यक्ति), पनीर बटर मशाला(वेज के लिए), मिठाई 1 पीस, सलाद, पापड़,		रोटी, हरी सब्जी, दाल, सलाद, मिठाई 1 पीस

नोट :- मेस कमिटी (प्रशिक्षुओं) की अनुशंसा पर मेन्यू में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

नोट:-

1. इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का सरकारी त्योहार/जंगल मार्च/कार्यक्रम के अवसर पर बड़ा/छोटा खाना/ नींबू पानी की व्यवस्था में संचालक को ही करना होगा। इसके लिए अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा।
2. अगर मेस मेन्यु में कोई बदलाव होता है तो उसका बिल मैस हेतु निर्धारित राशि में समाहित रहेगा तथा उसके लिए अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. मेस आवंटित होने के उपरांत प्रत्येक 03 माह के अंत तक आवंटित निविदादाता को अपना आयकर रिटर्न की छायाप्रति अकादमी के कार्यालय में समर्पित करना होगा।
4. यदि किसी अवसर पर प्रशिक्षु पदाधिकारियों को सामूहिक अवकाश दिया जाता है तो उस सामूहिक अवकाश अवधि का मेस चार्ज महिना के अन्त में घटा दिया जायेगा।
5. मेस संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार द्वारा निर्धारित आयु वाले व्यक्ति ही मेस कर्मी के रूप में कार्यरत हैं।
6. मेस संचालक को अपने कर्मियों के लिए पहचान-पत्र बनवाना अनिवार्य होगा। कर्मियों के लिए काला पैन्ट एवं सफेद रंग का शर्ट ड्रेस कोड होगा, जिसका व्यवस्था मेस संचालक को ही करना होगा, इसके लिए अतिरिक्त राशि अलग से देय नहीं होगा।
7. मेस संचालक को अपने अधिनस्थ काम करने वाले कर्मियों के स्वास्थ से संबंधित फिटनेस प्रमाण पत्र भी देना होगा एवं बीच-बीच में कार्यरत कर्मियों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे कि उनका कोई भी कर्मी संकामक बीमारी से ग्रसित तो नहीं है।
8. मेस संचालक को मेस संचालन से पूर्व अपने कर्मियों का विवरणी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित करेंगे।
9. मेस संचालक को प्रशिक्षु के भोजनालय, ग्राउण्ड तथा प्रत्येक क्लास रूम में पानी की व्यवस्था करनी होगी।
10. आवंटित मेस संचालक को प्रत्येक 50 प्रशिक्षुओं के लिए कम से कम 04 कर्मी रखना होगा तथा उसी हिसाब से कुल प्रशिक्षुओं की संख्या के आधार पर मेस कर्मी नियुक्त करना होगा।
11. मेस संचालक प्रशिक्षुओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करायेंगे, किसी भी परिस्थिति में स्तरहीन खाद्य पदार्थ एवं भोजन देने की अनुमति नहीं होगी। उक्त संबंध में प्राप्त शिकायत पर जॉच की जायेगी तथा साक्ष्य मिलने/आरोप सिद्ध होने पर पेनाल्टी की कटौती मेस भुगतान राशि से अथवा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अकादमी में धुम्रपान/किसी भी तरह के मादक पदार्थों की बिक्री/आयात/निर्यात/सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। मेस संचालक तथा मेस कर्मी किसी के भी विरुद्ध इस तरह की शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
12. मेस संचालक को मेस आवंटित होने के उपरांत बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर के बेबसाईट पर किसी भी तरह का नियम/प्रावधान का अवलोकन करते रहना होगा।
13. मेस संचालक डाइनिंग हॉल, किचन/स्टोर अथवा मेस के आस-पास साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखेंगे तथा मेस एवं स्टोर रूम में चुहा, कॉकोच, विषेले जीव इत्यादि के रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे तथा प्रत्येक 15 दिनों पर इससे संबंधित रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करेंगे।
14. सब्जी, फल, दूध, मीट मछली, पनीर एवं अन्य सभी खाद्य पदार्थ ताजा एवं गुणवत्तापूर्ण किसम के होने चाहिए।

15. वरीय पदाधिकारीयों द्वारा मेस का औचक निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान त्रुटि पाये जाने पर मेस संचालक उसका निराकरण करते हुए कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवतरण करायेंगे।
16. मेस संचालक को अकादमी परिसर में साफ—सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, आवश्यक जगहों पर डस्टबिन, रखना अनिवार्य होगा। हाथ धोने वाले जगहों पर एन0आई0एस0 के कर्म से समन्वय स्थापित कर तौलियाँ एवं हैंड वाश की उपलब्धता सुनिश्चित कराते रहना होगा।
17. किसी भी प्रकार का वाद—विवाद होने पर मामला स्थानीय न्यायालय, नालंदा में ही दायर किया जा सकेगा।

8/1
21.3.29

पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक(प्रशिक्षण)
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर की परिसम्पति के अनुज्ञाप्ति के आधार पर मेस संचालन हेतु
निविदा

लिफाफा नं०-१ प्रपत्र 'क'
आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. फर्म/एजेन्सी का नाम
(जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है)
2. आवेदक का नाम :
(व्यक्ति/एंजेसी/फर्म इडिभिजुअल:
संबंधित कागजात की प्रतिलिपि संलग्न करें)
3. पिता का नाम :
4. वर्तमान एवं स्थाई पता :
(दूरभाष सहित)
5. अनुभव/दक्षता :

पासपोर्ट
साईज एक
फाटो

- (तकनीकी बिड की शर्तें)
1. सभी निविदाकर्ता को प्रपत्र के साथ फर्म/एजेन्सी/प्रतिष्ठान का जी०एस०टी० पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं GST का अद्यतन छायाप्रति, पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
 2. निविदाकर्ता को पूर्व सरकारी प्रतिष्ठानों(स्कूल/हॉस्टल/सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र यथा Bipard, Bica)/गैर सरकारी प्रतिष्ठान(स्कूल/हॉस्टल) में कार्य करने का अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। निविदाकर्ता को आयकर रिटर्न विगत तीन वर्षों का लगाना होगा।
 3. निविदाकर्ता का अन्डरटेंकिंग :

- मेरे द्वारा निविदा नियमावली एवं अन्य नियम तथा शर्त अच्छी तरह पढ़ने/समझने के उपरांत यह आवेदन दिया जा रहा है। अकादमी द्वारा निर्धारित सभी नियमों/शर्तों के अनुसार मेस की संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करनें का आश्वासन देता हूँ।
- मेरे द्वारा इस आवेदन में भरे गये सभी तथ्य/संलग्न अभिलेख तथा प्रमाण पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। निविदा में वर्णित शर्तों के उल्लंघन/गलत पाये जाने पर अकादमी यथोचित आवश्यक कार्रवाही हेतु स्वतंत्र होगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

निविदा में भाग लेने हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. अपना नाम :—

2. फर्म का नाम :—

3. पता :

4. मोबाईल नम्बर :—

5. मेस का संचालन हेतु लाईसेंस का विवरणी :—

6. अनुभव/दक्षता :

फोटो

आवेदक का हस्ताक्षर

TECHNICAL BID ELIGIBILITY CRITERIA

The bidder may be an individual proprietary firm, partnership firm, limited company, corporate body or society legally and possessing the required license, registration etc. as per law valid at least for 12 months on the date of opening of tender.

Document to be enclosed:

self-attested photocopies of the following :-

- a. PAN
- b. GST registration certificate & up to date tax deposit receipt last 3 years.
- c. Service tax registration certificate
- d. TAN (optional)
- e. Audited financial statement (last 3 years)
- f. registration certificate(company/firm/other relevant organization) before tender Published.
- g. Undertaking of the agency confirming the availability of adequate manpower of requisite qualification and experience for deployment in Bihar police academy.
- h. self declaration on letter head that firm is non blacklisted.
- i. Acceptance of terms and condition (self attested letter).
- j. written submission that no case is pending with the police against the proprietor/firm/partner of the company (Agency).
- k. Tender fee deposition certificate/proof.

MANPOWER DEPLOYED AND OFFICE MANAGEMENT

The agency shall be responsible for fulfilling the requirement of all the applicable statutory provisions of minimum wages Act, payment of wages Act (including leave salary), workmen compensation ACT, Industrial disputes Act, contract labour (Abolition & regulation ACT), Employees provident fund Act, payment of bonus Act and all other labour and industrial enactments at its own cost and risk in respect off all the staff employed by it.

ग्रन्थालय
२१-३-२३

पुलिस अधीक्षक सह सहायक निदेशक(प्रशिक्षण)
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।